



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



मिसिल संख्या :- 9-HRB022/2019-CHA

दिनांक: 25-06-2019

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ -160001

विषय:- Diversion of 1.616 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. 1, PWD B&R, Kurukshetra for widening of road from Kurukshetra to Amin upto Railway Station Amin, km. 0-3.65, under Forest Division and District Kurukshetra, Haryana (online proposal no. FP/HR/Road /34621/2018)

- संदर्भ: i). प्रमुख वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 8694/3967 दिनांक 12.02.2019
ii) Executive Engineer, Provl. Divion No. 1 PWD B&R Kurukshetra letter no. 970 dated 26.2.2019

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **1.616** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
- वन मण्डल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।
- नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नेट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।
- User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.
- User Agency shall ensure that no other proposal in the division, for which Stage-I has already been granted in the past, is still pending for compliance of conditions of Stage-I approval. An Undertaking to this effect that "**no such proposal for compliance of conditions of Stage-I approval is pending with this division**" be submitted. Compliance of the same will be mandatory for the final clearance of this proposal by this office.

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 56 से अधिक नहीं होगी।
- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- iv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- v. जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- viii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- ix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- x. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1980, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xii. कूड़ा कंकट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xiii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xiv. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

भवदीय,



(सी० डी० सिंह) 29/05/2019

अपर वन महानिदेशक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Haryana Forest Department, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.
3. Addl. PCCF (FCA) & CAMPA, Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009.
4. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Kurukshetra, Haryana.
5. The Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R, Kurukshetra